



# कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़, जयपुर)  
(लैण्ड प्रकाश)

क्रमांक : एफ-11( ) लैण्ड बैंक/ननिज (हैरिटेज) /2024 / 1617

दिनांक:- 3-07-2024

## नीलामी की सूचना (05)

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा व्यावसायिक दुकानों/भूखण्डों का 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार दिनांक 30.07.2024 को नीलामी की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानता राशि ऑनलाईन (प्रति भूखण्ड) "नगर निगम जयपुर हैरिटेज" की वेबसाईट [JaipurMcheritage.org](http://JaipurMcheritage.org) पर ऑनलाईन जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं, (नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी)।

### कार्यक्रम

#### नीलामी प्रक्रिया ई-ऑक्शन

#### नीलामी कार्यवाही

दिनांक 30.07.2024 को सुबह 10.00 बजे से  
सांय 05.00 बजे तक।

(अंतिम 05 मिनट में बोली लगने की स्थिति में 15 मिनट की वृद्धि की जायेगी।)

क्र. सं.	योजना नाम/स्थान	का कवरेज बी.ए.आर. इत्यादि विनियम अनुसार देय	आवासीय भूसं. लैंचाई, सेटबैक प्रचलित अनुसार देय	साईज वर्गमीटर (लगभग)	किस्म/ प्रकार	अमानता राशि रूप ये (प्रति भूखण्ड) ऑनलाईन	नीलामी बोली करने की दर रूपये (प्रति वर्गमीटर)
1.			पी-139	29.76	व्यावसायिक	26784	45000
2.	जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर		पी-96,	25.25	व्यावसायिक	22725	45000
3.	चौकड़ी रामचन्द्रजी में स्थित नजूल सम्पत्ति		पी-147	16.21	व्यावसायिक	14589	45000
4.			पी-153	22.40	व्यावसायिक	20160	45000
5.			पी-178	13.76	व्यावसायिक	12384	45000

शर्त:- (1) दुकान/भूखण्ड जहाँ है जैसा है, के आधार पर नीलाम किये जायेंगे। (2) नीलामी में भागीदारी शुल्क 5000/- होगी जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी एवं समायोजन प्रकृति का नहीं होगा। (3) व्यावसायिक दुकानों/भूखण्डों की नीलामी बोली न्यूनतम 500 रुपये के गुणज बढ़ाकर लगाये जाने पर ही स्वीकार होगी। (4) मौके पर क्षेत्रफल उपलब्धता के अनुसार घट-बढ़ सकता है, तदानुसार अनुपातिक राशि घट-बढ़ सकती है। (5) यदि भूखण्ड ईको सेन्सेटिव जोन के 1 कि.मी. के बफर जोन में स्थित होगा, तो रिक्त भूखण्ड पर नया निर्माण अनुज्ञाय नहीं होगा। (6) ई-ऑक्शन में उच्चतम बोली ही स्वीकार की जावेगी। (7) The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled. (8) The bid shall be subject to the sanction or rejection within 5 working days from the date of auction and demand note shall be issued within 2 days from the date of sanction of the bid. (9) The bid shall be subject to the sanction of the Chairperson of the Municipality in whom the rights are reserved to accept or reject any bid without assigning any reason. (10) After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 120 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% of the Bid amount within 120 days, after expiry of above period bidder may be liable to pay fine of Rs. 10,000/- per day. (11) The Bid amount will be released to the bidder within 10 days of payment of fine. (12) The Bid amount will be released to the bidder within 10 days of payment of fine.

Signature valid

Rajendra Kumar  
Digitally signed by Shavani Kumar  
Designation: Deputy Commissioner  
Date: 2024-07-09 10:44:44 IST  
Reason: Approved



within extended time period as per provisions of clause 9 alongwith interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction. (11) Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 180 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 180 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 90 days alongwith interest at the rate of 15% remaining amount from the date of auction. (12) If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 1% rebate of the bid amount. (13) In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled. (14) नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज में निहित है। (15) दो से अधिक व्यक्तियों के नाम सम्पत्ति लिये जाने पर पार्टनरशिप डीड दिया जाना आवश्यक होगा, फर्म या अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर पावर ऑफ अटोर्नी एवं पहचान पत्र देना होगा। शेष शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में, कार्य दिवस को उपायुक्त (लैण्ड शाखा) एवं राजस्व अधिकारी (लैण्ड शाखा) से प्राप्त की जा सकती है। (16) नीलामी बोली दाताओं को रजिस्ट्रेशन फीस, नीलामी भागीदारी शुल्क एवं अमानता राशि ऑनलाइन नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmcheritage.org](http://www.jaipurmcheritage.org) पर जमा करवाने पर ही निलामी की बोली में मान्य किया जायेगा। नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट [www.jaipurmcheritage.org](http://www.jaipurmcheritage.org) पर देखा जा सकता है। इच्छुक निलामी बोली दाताओं को अपने user id व password के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। (17) भूखण्ड नीलामी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राज. नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन नियम) 1974 एवं विभागीय आदेशों और परिपत्रों के अध्ययधीन होगी। (18) नीलामी में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री प्रेम प्रकाश, ए.सी.पी. न.नि.ज. हैरिटेज मो.नं. 9887764012 से सम्पर्क कर सकते हैं।

उपायुक्त (लैण्ड शाखा)  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

#### प्रतिलिपि:-

- प्रोग्रामर, ई—गवर्नेंस, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निलामी सूचना तथा संलग्न साईट प्लान को नगर निगम जयपुर, हैरिटेज की वेबसाइट [JaipurMcheritage.org](http://JaipurMcheritage.org) पर डालने का श्रम करें तथा नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के सोशल मिडिया प्लेटफार्म यथा— इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि पर भी प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपायुक्त (लैण्ड शाखा)  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

**Signature valid**

RajKaj Ref  
8536394

Digitally signed by Shavhan Kumar  
Designation: Deputy Commissioner  
Date: 2024.07.02 10:44:44 IST  
Reason: Approved